राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

सूचना का अधिकार

विषयः– सूचना का अधिकार के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील निस्तारण के संबध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5.5.2011 के कम में जो अपीलें अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) (पूर्ववर्ती अपीलें अपीलीय अधिकारी) के यहां से विभागों को स्थानान्तरित होकर आई अपीलों के संबंध में लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(6) का अवलोकन करें जिसके अन्तर्गत प्रथम अपील 30 दिवस के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो उसके फाइल किए जाने की तारीख से कुल पैंतालीस दिन से अधिक न हो निस्तारण किया जाने का प्रावधान है। इस संबंध में राज्य सूचना आयोग ने अपील संख्या 2683/2010 द्वारा श्री प्रकाश शुक्ल बनाम प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग में निर्णय दिनांक 14.2.2011 को देते हुऐ स्पष्ठ किया है कि अपील का निस्तारण विनिश्चयन इस अवधि में नहीं होने पर धारा 7(2) के अनुसार उक्त आवेदन "Shall be deemed to have refused the request" की श्रेणी में आ जायेगा। अतः ऐसी अपीले जिनका निर्णय अपीलीय अधिकारी निधारित अवधि मे नहीं करते है तो (Functus Officio) माना जायेगा। अर्थात् जिसका कार्य करने का विधिक अधिकार खत्म हो गया। (Official who has no legal authority because his duties and functions have been completed) अतः आपके यहां जो अपीले स्थानान्तरित होकर आई है कृपया उन सभी का उपरोक्त निर्णय व सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(6) के अन्तर्गत परीक्षण कर लेवें तथा इन में 30 दिवस या 45 दिवस में अपील दायर होने के बाद निर्णित नहीं हुई हो तो Deemed refusal के आधार पर अपीलार्थी को द्वितीय अपील सूचना आयोग में दायर करने की राय दे सकतें है।

प्रमुख शासन सचिव

समस्त अति0 मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव

.....

अशा0टीप0 संख्या अ.शा.प.20(22)प्रसु/सूअप्र/2008
जयपुर, दिनांक 17.6.2011